न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010036602026

Sessions Case/2138/2026

State of U.P. Vs. Vijay

सरकार बनाम विजय

मु0अ0सं0 55/2026

अं०धारा–137 (2),64,123,351 (2) बी०एन०एस०

व 3/4(1) पोक्सो एक्ट

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना–गढमुक्तेश्वर,जिला– हापुड़।

12.05.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त विजय जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त विजय के विरूद्ध धारा 137 (2), 64, 123, 351 (2) बी०एन०एस० व 3/4(1) पोक्सो एक्ट, 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 27.05.2026 को पेश हो । अभियेाजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 12.05.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.05.14 10:54:39 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010036602026

Sessions Case/2138/2026
State of U.P. Vs. Vijay

सरकार बनाम विजय

मु0अ0सं0 55/2026
अं०धारा–137 (2),64,123,351 (2) बी०एन०एस०
व 3/4(1) पोक्सो एक्ट
3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना–गढमुक्तेश्वर,जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त विजय पर यह आरोप लगाता हूॅ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनाक 17–02–2026 को समय करीब 12.00 बजे बागडपुर मोड बहद कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र 17 वर्ष 5 माह 1 दिन (18 वर्ष से कम) का उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 137(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''सी''/पीडिता उम्र 17 वर्ष 5 माह 1 दिन (18 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने के आशय से नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 123 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''सी''/पीडिता उम्र 17 वर्ष 5 माह 1 दिन (18 वर्ष से कम) से बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 64(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने पीडिता को उसकी बहनो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''सी''/पीडिता उम्र 17 वर्ष 5 माह 1 दिन (18 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है,की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र 17 वर्ष 5 माह 1 दिन (18 वर्ष से कम) का अपहरण कर उसके साथ बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला किया।इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 12.05.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 12.05.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।